प्रकशन हेतु अनुमो

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

खंडपीठ

गणपूर्ति : **मान. श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधिपति एवं**
मान. श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधिपति

रिट अपील क्र. 17/2008

अपीलार्थी : श्रीमती उर्मिला जगत पति महेंद्र जगत उम्र लगभग 30 वर्ष
प्रत्यर्थी क्र. 4 निवासी ग्राम पंचायत झालखमरिया विकासखंड महासमुंद तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. कलेक्टर, महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)
(प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1)
2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, महासमुंद तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)
(प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी क्रमांक 2)
3. नायब तहसीलदार, महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)
(प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी क्रमांक 3)
4. त्रिलोचन आत्मज भूखऊ, पंच, उप-सरपंच, ग्राम पंचायत झालखमरिया जिला महासमुंद (छ.ग.)
(प्रत्यर्थी /अपीलार्थी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय (खंडपीठ के समक्ष अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) सहपठित छत्तीसगढ उच्च न्यायालय नियम, 2005 के नियम 157(10) के अंतर्गत रिट अपील

उपस्थित : श्री मनोज परांजपे, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता
श्री ए एस गहरवार, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी क्र. 1, 2 एवं 3 के लिए
श्री जे. ए. लोहानी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी क्र. 4 के लिए

निर्णय

(10 मार्च, 2008)

मुख्य न्यायाधिपति **राजीव गुप्ता** द्वारा न्यायालय का निम्न निर्णय पारित किया गया

ग्राह्यता पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. अपीलार्थी - श्रीमती उर्मिला जगत, जो रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 4 थी, द्वारा यह रिट अपील डब्ल्यू पी (सिविल) क्रमांक 518/2008 में पारित आदेश दि. 01-02-2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. उत्तरवादी क्र. 4 त्रिलोचन ने निम्न अनुतोषों के लिए रिट याचिका प्रस्तुत की थी :-

"(i) यह कि, यह मान. न्यायालय, राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/ए-89 वर्ष 07-08 तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20-12-2007 (अनु. पी-1) से संबंधित समस्त अभिलेखों का अनुशीलन करने की कृपा करे।

(ii) यह कि, यह मान. न्यायालय, उत्तरवादी क्र 1 द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/ए-89 वर्ष 07-08 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20-12-2007 (अनुलगनक पी-1) को अपास्त करते हुए इस रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करे।

(iii) यह कि, यह मान. न्यायालय अधिनियम 1993 की धारा 21 तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित "त्रिस्तरीय पंचायत राज" के अध्याय 19 में 'अविश्वास प्रस्ताव' से संबंधित नियमों के सिद्धांत के अनुसार उत्तरवादी क्र.4 श्रीमती उर्मिला जगत, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही दिनांक 13-11-2007 को वैध एवं सही ठहराते हुए पुष्ट करने की कृपा करें।

(iv) और यह भी कि, मान. न्यायालय उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित समझें वैसा उपयुक्त आदेश और अनुतोष प्रदान करने सहित वाद-व्यय प्रदान करने की कृपा करें।

4. इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्र. 1, कलेक्टर महासमुंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2007 को अभिखंडित करने के लिए माँग की गई थी।

5. अपीलार्थी - श्रीमती उर्मिला जगत वर्ष 2005 में झालखमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच निर्वाचित हुई थी। ग्राम पंचायत के कुछ पंचों द्वारा अपीलार्थी के कार्यों से असंतुष्ट होकर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 13-11-2007 में उपस्थित सभी 12 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सक्षम प्राधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद द्वारा तदनुसार आवश्यक बहुमत से उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर आदेश दिनांक 13-11-2007 के अनुसार अपीलार्थी को सरपंच का पद छोड़ देने हेतु निर्देशित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर कलेक्टर महासमुंद के समक्ष पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 4 के अनुसार प्रकरण प्रस्तुत किया। कलेक्टर महासमुंद ने अभिनिर्धारित किया कि 'अविश्वास प्रस्ताव' मात्र 12 पंचों द्वारा पारित किया गया है, जो ग्राम पंचायत के पंचों की कुल संख्या 17 के दो तिहाई से अधिक नहीं है। कलेक्टर महासमुंद ने तदनुसार दिनांक 20-12-2007 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित ग्राम पंचायत की कार्यवाही तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त कर दिया। दिनांक 20-12-2007 को कलेक्टर महासमुंद द्वारा पारित यह आदेश रिट याचिका में आक्षेपित किया गया था।

7. विद्वान एकल पीठ के न्यायाधिपति द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1983 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 21 के अनुसार अभिनिर्धारित किया कि 17 का दो तिहाई 11.33 होता है और 12 पंचों ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मत दिया है, अतः अधिनियम की धारा 21 के अनुसार दोनों शर्तें कि 'अविश्वास प्रस्ताव' ग्राम पंचायत के कुल पंचों के दो तिहाई या उपस्थित कुल पंचों के तीन चौथाई बहुमत से अनधिक बहुमत से पारित नहीं होना चाहिए, पूरी होती हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तदनुसार, कलेक्टर महासमुंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2007 अपास्त कर रिट याचिका स्वीकार की गई।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे द्वारा जोरदार तर्क रखा गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 21 की दोनों शर्तें पूरी होना मानकर त्रुटि की है, क्योकि प्रकरण में मात्र 12 पंचों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान

किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 17 का 2/3 पूर्णांकित करने पर 12 आता है, अतः अधिनियम की धारा 21 की दूसरी शर्त, कि 'अविश्वास प्रस्ताव' ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या के दो तिहाई अधिक संख्या द्वारा पारित किया जाना चाहिए, इस प्रकरण में पूरी होना नहीं कही जा सकती।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 तथा 3 के लिए उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री ए. एस. गहरवार तथा प्रत्यर्थी क्र. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जे. ए. लोहानी द्वारा आक्षेपित आदेश का समर्थन किया गया और यह तर्क दिया गया कि 17 का 2/3, 11.33 अर्थात 11.5 से कम आता है, दो तिहाई पूर्णांकन के उद्देश्य से इसे 12 नहीं 11 माना जाना चाहिए, और इस प्रकार धारा 21 की दोनों शर्तें इस प्रकरण में पूरी होती हैं।

10. अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार पढ़ी जाती है:-

"21 सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(1) उपस्थिति तथा मतदान करने वाले पंचों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर,नवह सरपंच या उप सरपंच, जिसके विरुद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सरपंच या उप सरपंच उसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। ऐसा सम्मेलन ऐसी रीति से संयोजित किया जाएगा जो विहित किया की जाए और इसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करें। यथा स्थिति सरपंच या उपसरपंच को उसे सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) किसी सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव –

(i) उस तारीख से, जिसको वह सरपंच या उपसरपंच अपना पद ग्रहण करता है, 1 वर्ष की कालावधि के भीतर;

(ii) उस तारीख के, जिसको यथा स्थिति उस सरपंच या उपसरपंच की पदावधि का अबसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर:

(iii) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति सरपंच या उप सरपंच उप धारा (1)/के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की इच्छा करता है तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, सात दिनों के भीतर कलेक्टर को विवाद में निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. स्वीकृत रूप से ग्राम पंचायत झालखमरिया में 17 पंच थे, दि. 13-11-2007 को जब अपीलार्थी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया, तब 12 पंच उपस्थित थे और उन्होंने सम्मिलन में भाग लिया और सम्मिलन में उपस्थित सभी 12 पँचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपीलार्थी के विरुद्ध मतदान किया गया। जहाँ तक अधिनियम की धारा 21 के

अंतर्गत प्रथम शर्त का प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन चौथाई से कम बहुमत द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकरण में विवादित नहीं है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में यही विरोधाभास है कि अधिनियम की धारा 21 की दूसरी शर्त कि ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों के दो तिहाई से कम बहुमत द्वारा 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित किया जाना चाहिए, यह पूरी होती है या नहीं।

13. सामान्य गणितीय गणना करने पर 17 का दो तिहाई 11.33 होता है। चूँकि अपीलार्थी के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' 12 पंचों के बहुमत से पारित किया गया है और 12 की संख्या 11.33 से अधिक होती है, इसलिए अधिनियम की धारा 21 की दूसरी शर्त हमारे विचार में, पूरी हुई है।

14. हम अपने अभिमत को 1975 एम.पी.एल.जे.-116 में प्रतिवेदित **शंकर लाल पाटीदार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य** के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय द्वारा सुदृढ़ है, जिसके कंडिका चार में इस प्रकार अवलोकित किया गया है:-

> " श्री गर्ग का प्रथम तर्क सारहीन है और उन्होंने सहज रूप से हमें बताया कि उनके विरुद्ध निराकरण का आधार इस न्यायालय द्वारा गोविंद कुमार विरुद्ध ग्राम पंचायत पीपलगोन एवं अन्य के निर्णय को आधार बनाया गया है। इस बिंदु पर श्री गर्ग द्वारा कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस पर अधिक विचार किया जावे। तथापि, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि शब्दसमूह 'ग्राम पंचायत का तत्समय गठन करने वाले कुल पंचों की संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा पारित संकल्प....." मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 की धारा 24 उपधारा (1) कोई शंका नहीं छोड़ती कि ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की वास्तविक संख्या संकल्प पारित करने के समय बहुमत का आधार है । <u>प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि 04-06-1973 को जब संकल्प पारित किया गया, ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंच मात्र पंद्रह थे। इस प्रकार उनमें से आठ द्वारा पारित संकल्प निश्चित रूप से, तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले कुल पँचों की संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा पारित किया गया है। अतः यह तर्क अमान्य किया जाता है।</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि पंचायत का गठन करने वाले 17 पंचों में से 12 पंचों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित 'अविश्वास प्रस्ताव' अधिनियम की धारा 21 की दोनों शर्तों को पूरा करता है तथा अपीलार्थी सरपंच के विरुद्ध पारित 'अविश्वास प्रस्ताव' अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया है।

16. अतः हम आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई दोष नहीं पाते हैं, जो रिट अपील के माध्यम से हस्तक्षेप योग्य हो।

17. इस प्रकार यह रिट अपील खारिज करने योग्य है और एतदद्वारा संक्षेप में खारिज की जाती है।

हस्ताक्षर
राजीव गुप्ता
मुख्य न्यायधपति

हस्ताक्षर
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By महेश कुमार शर्मा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur